

फर्द अहकाम

मुलचन्द बनाम रामनारायण वगै०

म न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू

स संख्या 78/2016

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वितरण
	23/05/2017	<p>आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अभियान 'न्याय आपके द्वार' मुकाम गंगातीकलां पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र में पक्षकारान को विधिवत् सम्मन तामील हो चुके है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 389, 486, 516, 587 कुल किता 04 कुल रकबा 1.69 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 1.09 हैक्टेयर वाके ग्राम भगवतसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक-दूसरे की कब्जा-काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(त्रिलोक चन्द्र मीना) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू</p>	